न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

फर्द अहकाम

दिनांक	
30/1/25	मु0न0:–82/23

उनवानः– मनोज बनाम रामेश्वर

उभयपक्ष वकील की प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई। सायल वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि वर्णित आराजीयात मे गैरसायल न0 1 मुताबिक जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार खातेदार दर्ज रिकार्ड है। गैरसायल न0 1 सायल न0 1 ता 4 के पिता है। वर्णित आराजीयात गैरसायल न0 1 को विरासत मे मिली है। गैरसायल न0 1 गलत संग तमे पडा हुआ है शराब का आदि है एवं अन्य कई प्रकार के नशे करता है। तथा जुआ–सट्टे लगाने का आदि है, जो नाजायज फायदा उठाकर रहन व्यय एवं खुर्द–बुर्द करने की फिराक मे रहता है। अतः गैरसायल न0 1 को पाबन्द किया जावे कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात को रहन विक्रय नही करे रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। सायलान को शांति पूर्वक काश्त करने देवे।

गैरसायल वकील ने जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि सायलान द्वारा एकदम गलत तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत की है जो चलने योग्य नही है, सायलान का गैरसायलान न0 1 की आराजी पर कोई कब्जा काश्त नही है। सायलान द्वारा गैरसायल की आराजी पर कब्जा करने की गरज से पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि सायलान का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल जमाबन्दी का अवलोकन किया। पत्रावली मे शामिल ग्राम भैसा पट्टी खुर्द की जमाबन्दी सम्वत 2075–78 के खाता न0 167, 191, 190, 172, 171, 168, मे गैरसायल न0 1, जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। शेष हिस्से मे जमाबन्दी अनुसार अन्य सहखातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली मे शामिल अधार वर्ष जमाबन्दी अनुसार वर्णित आराजीयात गैरसायल न0 1 को विरासत मे प्राप्त हुई है। जिसमे उसके पुत्र, पुत्री का नोशनल शेयर पर हक प्राप्त करने के अधिकारी है। इसलिये प्रार्थीगण के पक्ष मे अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की गई, तो प्रार्थना पत्र का उद्देश्य की असफल हो जायेगा। इसलिये प्रार्थना पत्र की आकस्मिकता को देखते हुए सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। अर्थात न्यायालय हाजा द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 06.09.2023 को ता दावा फैसला कन्फर्म किया जाता है।

आदेश

अतः गैरसायलान को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात ग्राम भैसा पट्टी खुर्द के ख0न0 1036/0.62, 1037/0.21, 1038/0.47, 1039/0.18, 1040/0.13, 1042/0.16, 697/0.15, 438/0.07, 454/1242/0.07, 456/0.10, 468/0.18, 477/0.11, 481/0.08, 1041/0.01, 1043/0.01, 455/1224/0.04, 476/0.03, 450/0.06, 452/1239/0.03, 479/0.16, 480/1241/0.03, 482/1240/0.05 मे गैरसायल न0 1 के हिस्से तक रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा आराजीयात को काश्त करने देवे।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:13:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner